

न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली-बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :- ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:- 38/2025

रोशन लाल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

—आवेदक

बनाम

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयंती प्रसाद, उम्र 33 वर्ष (विक्रेता) मैसर्स जयंती बाजार, नियर बैंक ऑफ बडौदा, मैन रोड, बहरोड, निवासी वार्ड नं0 6, मौहल्ला मानपुरा, बहरोड ।

— अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), 26(2) (v)/51, 58 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 5¹²/₂₅

- उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोशन लाल यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.06.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2024/660 दिनांक 16.03.2024 एवं आदेश क्रमांक 2098 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
- यह है कि दिनांक 03.06.2024 को बाद दोपहर 03.30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण वैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स जयंती बाजार, नियर बैंक ऑफ बडौदा, मैन रोड, बहरोड., स्थित पर पहुँचा। उक्त स्थल पर विक्रेता श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयंती प्रसाद मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ, घी (सरस) आमजन बेचान वास्ते रखा हुआ था। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस

पर गवाहन श्री मुकेश एवं श्री हेमन्त यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयंती प्रसाद, उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं० 6, मौहल्ला मानपुरा, बहरोड का होना बताया एवं श्री मो० उवेद को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आधार कार्ड एवं मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कि जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र नहीं होना जाहिर किया।

3. यह है कि निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर रखे करीब 1 लीटर वजनी में रखे 6 पैकेट घी (सरस) में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री मुकेश एवं श्री हेमन्त यादव की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं) सूचित करते हुए उक्त घी (सरस) में से 1 लीटर वजनी घी (सरस) के 4 मूल पैकेट घी (सरस) वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 2292/- (अक्षरे वाईस सौ वानवे रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 लीटर वजनी घी (सरस) के 4 मूल पैकेट को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (सरस) को अलग-अलग चार नमूना भाग तैयार कर

ल्यल, तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकेट को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-7670 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों पैकेटो पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तों में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेसन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

जयपुर कार्यालय
निवासी (कॉटेज नं० 1-बहरोड)


- जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितीय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
 8. यह है कि उक्त घी (सरस) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 631 दिनांक 23.07.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7 (2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No. 2.3.7(2) of FS&S (Prohibition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
 9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होंने प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक दिनांक के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
 10. यह है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7 (2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No. 2.3.7(2) of FS&S (Prohibition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) घी (सरस) की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं 26 (2) (v) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 एवं धारा 58 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
 11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार

शर्मा ने उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं किया गया ना ही न्यायालय में उपस्थित आये इसलिए अप्रार्थी का जबाब बंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक खाद्य पदार्थ एवं वाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7 (2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ घी (सरस) की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं 26 (2) (v) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में दण्डित किया जावे।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक खाद्य पदार्थ एवं वाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7 (2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ घी (सरस) की विक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (2) (v) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयंती प्रसाद, उम्र 33 वर्ष (विक्रेता) मैसर्स जयंती बाजार, नियर बैंक ऑफ बडौदा, मैन रोड, बहरोड, निवासी वार्ड नं0 6, मौहल्ला मानपुरा, बहरोड पर 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 5-12-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।


अध्यक्ष निर्णयकर्ता अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली